Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION (RPSC)

पेपर – 3 || भाग – III

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और नीतिशास्त्र

SIERRA INNOVATIONS

RAS

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीतिशास्त्र

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	
1.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	1
2.	विदेश नीति	10
3.	गैर संरेखण सम्मेलन	19
4.	सामरिक स्वायत्तता	27
5.	सार्क	31
6.	नेहरू जी की भूमिका	33
7.	भारत और तिब्बत	33
8.	भारत और बांग्लादेश	35
9.	भारत और अफगानिस्तान	39
10.	भारत और उसके समुद्री पडौसी देश	41
11.	भारत और पाकिस्तान	45
12.	पूर्व भारत और दक्षिण पूर्व भारत	49
13.	सिंधु जल संधि	50
14.	भारत और म्यांमार	52
15.	भारत और वियतनाम	55
16.	भारत और जापान	57
17.	भारत और दक्षिण कोरिया	59
18.	दक्षिण चीन सागर	59
19.	भारत और अमेरिका	61
20.	पश्चिम एशिया	64
21.	भारत की विदेश नीति	66
22.	सीरिया और आईएस इश्यू	70
23.	इजराइल	74
24.	अरब देश	76
25.	ईरान	79
26.	मध्य एशिया	82

27.	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद	83
28.	भारत और चीन	85
29.	भारत और अमेरिका	89
30.	भारत और रूस	93
31.	ब्रिक्स	97
32.	भारत और यूरोप	99
33.	अफ्रीका	102
34.	लैटिन अमेरिका	106
35.	परमाणु हथियार और संबंधित नीतियाँ	107
36.	समुद्री क्षमताएँ और मुद्दे	111
37.	प्रवासी भारतीय	115
38.	आईसीजे और आईसीसी	118
39.	विश्व व्यापार संगठन	120

नीतिशास्त्र

1.	परिचय	122
2.	नियतिवाद	126
3.	अनैतिकता	132
4.	धार्मिक और अनैतिक	134
5.	मूल्य और चेतना	143
6.	भारतीय दर्शन	150
7.	मनु दार्शनिक	156
8.	चार्वाक	159
9.	महात्मा गाँधी	161
10.	पंचव्रत	162
11.	पश्चिमी नीति मीमांसा	164
12.	सुकरात	166
13.	पश्चिमी नीतिशास्त्र	170
14.	उपयोगितावाद	177
15.	काण्ट	182
16.	हीगेल	184
17.	मनोविज्ञान	188

18. बुद्धिलब्धि (I.Q) 190
19. भावनात्मक बुद्धिमता 194
20. मनोवृत्ति 198
21. अनुनयन 206

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
International Relation

- भारत और विश्व सम्बन्ध (India and World Relation)
- वैश्वीकरण (Globalization)
- मुद्दे – भारत और विश्व (Issues b/w India & World)
- समझौता (Agreements)

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भूमिका (Actors in International Relations)

- देश वैश्विक प्रणाली की प्रमुख इकाइयाँ (परिभाषा मूलतः भौगोलिक)
- क्षेत्रीय संगठन (Regional Organizations)
  ऐसा संगठन जो एक क्षेत्र विशेष में कार्यरत हो, सार्क, आसियान
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International organisations) (संगठन, जिसकी भूमिका विश्व व्यापी)
- अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन (International Non-Governmental Organization)
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ MNC (Multinational Companies)
- राज्य (क्षेत्र, आबादी, सरकार, सम्प्रभुता, जिसमें क्षेत्र –भौगोलिक
  जनसंख्या – स्थायी
  सरकार – शासन, व्यवस्था
- राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों पर मोंटेवीडियो रूपान्तरण ।
- दक्षिणी एवं उत्तरी यू.एस.ए के देशों के सम्मेलन के माध्यम से समझौता ।
- निर्णय
- विश्व–व्यापी महत्व
- बहुत सारे देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की संकल्पना का स्पष्ट निर्धारण ।
- स्थायी जनसंख्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
- शासन तंत्र चलाने के लिए सरकार
- अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता से ।
- मोन्टवीडियों कन्वेन्शन से सम्बन्धित चार तथ्य ।
- इस संधि में अंतराष्ट्रीय कानून में संघीय राज्य को मान्यता मिलती है, उसकी इकाईयों को नहीं ।

सम्प्रभुता :–
- किसी अन्य राज्य के अधीन न होना ।
- घरेलू एवं बाह्य सम्बन्धों में अंतिम निर्णय लेने की क्षमता ।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत वैधानिक दृष्टिकोण से अन्य राज्यों के समकक्ष होना ।
- प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं के अन्दर स्वतंत्र है, उसकी अखण्डता का सम्मान किया जाता है एवं अन्दर उसके बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

सीमाएँ :-

- विभिन्न राज्यों में सैन्य, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षमता आदि में बहुत अन्तर होता है, जिसके कारण व्यवहार में आत्मनिर्णय की क्षमता अक्सर सीमित हो जाती है, जिससे उन्हें अन्य राज्यों के प्रभाव या दबाव में कार्य करना पडता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में राज्य को ही मूल इकाई माना जाता है ।
- आधुनिक राज्य व्यवस्था जिसकी शुरूआत यूरोप से हुई वेस्टफेलिया की संधि के बाद यह व्यवस्था विश्वव्यापी हो गई ।
- विश्व में कई उदाहरण ऐसे है, जिनमें राज्य का लक्षण है परन्तु विभिन्न कारणों से उन्हें व्यापक तौर पर राज्य की मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि अन्य कुछ राज्यों द्वारा उनकी क्षमता पर सवाल उठाया गया है ।
  उदाहरण – कोसोवों (सर्बिया का एक भाग जो कि अब एक अलग राज्य है)
  परन्तु सर्बिया द्वारा इसे अलग राज्य की मान्यता नहीं दी गई, जिसके पीछे तर्क है कि यह अलगाववाद का उदाहरण है, जो कि विदेशी हस्तक्षेप का परिणाम है, जिसमें सर्बिया के समर्थन में चीन, रूस आदि राष्ट्र है ।
- कोसोवो, यू.एन. में शामिल नहीं है, एवं इसे विश्वव्यापी मान्यता भी नहीं प्राप्त है ।

ताईवान :-

- यहाँ की जनसंख्या मूलतः चीनी मूल से ।
- चीन द्वारा 1949 में कम्युनिष्ट शासन की स्थापना के समय चीन के पुराने शासन वर्ग (के.एम.टी. पार्टी सम्बन्धी जो कि युद्ध में हार के कारण ताईवान से निर्वासित होकर इन्होंने राजधानी ताईपे में स्वयं सरकार की स्थापना की ।

समस्या :-

- (KMT) मंत्री का दावा कि वहीं वास्तविक चीनी शासक केवल ताईवान के ही नहीं ।

तर्क :-

- चीन के ऊपर कम्यूनिष्ट कब्जा, अवैध एवं कानूनी दृष्टिकोण से चीन एवं ताईवान दोनों के शासक यही है ।

निष्कर्ष :-

- विश्व के अधिकतर देशों में चीन को मान्यता दी है, जबकि ताईवान को कुछ गिने – चुने देश के द्वारा ही मान्यता देते है, क्योंकि ये देश ताईवान से आर्थिक सहायता प्राप्त करते है । उदाहरण– तुवालू (दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र)

  व्यावहारिक तौर पर ताईवान स्वतंत्र एवं सम्प्रभु इकाई है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आज उसकी मान्यता नहीं है । दुनिया के अधिकतर राज्यों द्वारा माना जाता है कि चीन एक ही है एवं ताईवान उसका एक भाग है ।

राष्ट्र (Nation) :-

- लोगों का एक समूह है ।
- समान भाषा, साझी परंपरा होती है ।
- संस्कृति, धर्म, ऐतिहासिक चेतना या जातीयता से सम्बन्धित होता है ।
- यह बंधन का एहसास होता है ।
- यह सभी लक्षण होने आवश्यक नहीं, कुछ लक्षण भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सफल हो सकते है ।
- राष्ट्र लोगों की भावना एवं सोच पर आधारित है न कि कानूनी आधार पर ।
- एंडरसन द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि राष्ट्रवाद मूलतः प्राकृतिक नहीं बल्कि यह लोगों के प्रयासों से विकसित एवं कल्पना पर आधारित होता है ।
- राष्ट्र के लोग एक-दूसरे से अक्सर अपरिचित होते है, किन्तु फिर भी उनके मध्य राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर सम्बन्ध जुड जाता है ।
- राष्ट्रवाद की स्थिति स्थिर नहीं होती इसमें बदलाव होना सम्भव है ।
- राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने से उनका मानना है कि इनकी अलग ऐतिहासिकता, संस्कृति एवं यूनाइटेड किंगडम के अन्य लोगों से अलग पहचान होने के कारण । यूनाइटेड, किंगडम, इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड, वेल्स, उत्तरी आयरलैण्ड ।
- राष्ट्रीयता की भावना में उतार-चढाव होता रहता है । स्कॉटलैण्ड में पिछले कुछ दशकों में राष्ट्रीयता मजबूत हुई एवं वहाँ की क्षेत्रीय संसद में सत्ता में आयी जिसका तर्क कि स्कॉटलैण्ड की अलग राष्ट्रीयता है और इस आधार पर इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए । जिसके लिए में एक जनमत संग्रह हुआ, परंतु उस समय अलग राज्य एवं स्वतंत्रता की माँग को कुछ मतों के अंतर से पराजित होना पडा ।

नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था :-

- 1945 के बाद जब गुटों पर आधारित शीतयुद्ध जारी रहा तभी तीसरी दुनिया के नये स्वतंत्र देशों द्वारा इस दोनों गुटों से अलग गुटनिरपेक्ष आन्दोलन चलाया गया । इसमें शामिल देश, अल्पविकसित राष्ट्र के सामने मुख्य चुनौती, गरीबी से निपटते हुए, अपना आर्थिक विकास करना था । आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए सुधार प्रस्ताव किये गये जिनके आधार पर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना विकसित हुई ।
  इस संकल्पना के तहत तीन मुख्य बातें थी -
  1. अल्पविकसित देश अपने संसाधनो पर अपना नियंत्रण रख सके ।
  2. पश्चिमी देशों द्वारा उनका दोहन न किया जा सके ।
  3. अल्पविकसित देश पश्चिमी देशों के बाजार में अपनी पहुँच बनाएँ एवं आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी भूमिका बढाये ।

सभ्यता-संघर्ष अवधारणा :-

- इस अवधारणा की उत्पत्ति 90 के दशक के प्रारंभ में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन की पुस्तक (क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स) से हुई ।

- इसके अनुसार 1991 में शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का कारण वैचारिक या आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होने लगें (मूलतः धर्म, ईसाई एवं इस्लाम के मध्य)
  उत्तरी कोरिया – अमेरिका, जापान, चाइना

राष्ट्र (Nation) (जिसका स्पष्ट निर्धारण नहीं एवं प्रकृति अस्पष्ट वस्तु महत्वपूर्ण है ।)

राष्ट्रीय राज्य **(Nation – State)** & इसमें दोनों संकल्पनाएँ शामिल होती है, जिसका अर्थ एक ऐसा राज्य जिसमें निवास करने वाले अधिकतर लोग एक ही राष्ट्रीयता से जुडे हुए हो ।

यहाँ रहने वाले लोग समान भाषा, इतिहास, नृजातियाँ आदि से जुडे रहेगें, परंतु उनके राष्ट्र को एक वैधानिक रूप भी प्रदान किया जाता है ।

- राज्य एक वह सरकारी इकाई जिसके पास कर वसूलने का तंत्र, सरकारी मशीनें एवं सैन्य बल आदि होते है ।
- राष्ट्र – राज्य :– जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप है ।
- ये ऐसे राष्ट्र हो सकते है, जिन्हें राज्य का स्वरूप नहीं प्राप्त है अर्थात् यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के बंधनो से जुडे हुए एवं स्वंय को एक राष्ट्र का भाग मानते है, परंतु राज्य के तौर पर स्वयं को स्थापित नहीं कर सके ।

जैसे –

1. कुर्द समुदाय के लोग नृजातीय एवं भाषीय आधार पर साथ ही सांस्कृतिक आधार पर स्वयं को एक राष्ट्र मानते है, परंतु इनका कोई राज्य नहीं है । कुर्द, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान ऐसे राज्यों में बटे हुए है एवं इनकी माँग है कि इन सभी राज्यों के सभी लोगों को मिलकर कुर्दिस्तान राज्य का गठन किया जाऐ । इसमें क्षेत्र में जितने भी राज्य है, वे कुर्दिस्तान राज्य की माँग को नामजूंर कर दें ।
2. फिलीस्तीनी लोग भी स्वयं को एक राष्ट्रीय मानते है, परंतु फिलीस्तीन को आज तक राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है । जो कि राज्यहीन राष्ट्र के अंतर्गत आते है ।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय **(National Self Determination)**

- एक समूह के लोग जिनके द्वारा दावा किया जाता है, कि वे एक राष्ट्र के है एवं उन्हे सामूहिक तौर पर अपने भविष्य के संदर्भ मे निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए । उदाहरण के लिए कुर्द समुदाय एवं फिलीस्तीनी समूहों की माँग ।
- भविष्य में इन्हें आत्मनिर्णय का आधिकार होना चाहिए ।
- विश्व में कई ऐसे राज्य जहाँ रहने वाले लोग एक राष्ट्रीयता के नहीं है । अक्सर राज्य के क्षेत्र निर्वासित लोगों की अपनी अलग–अलग पहचान होती है, एवं यदि एक पहचान बहुत मजबूत हो तो वे अपने को एक अलग राष्ट्र मान सकते है ।

बहु राष्ट्रीय राज्य **(Multi National State)**

- एक राज्य जिसमें रहने वाले लोग अलग राष्ट्रीयता से सम्बन्धित हो उदाहरण के लिए युगोस्लाविया (युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य) (सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवा और मैसेडोनिया)1991 तक के सभी क्षेत्र युगोस्लाविया के भाग थे, जो कि एक बहुराष्ट्रीय राज्य माना जाता था। 1991 के बाद, इन राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई एवं युगोस्लाविया अनेक हिस्सों में विभाजित हो गया एवं ये राष्ट्र अलग-अलग राज्य बन गए ।
  एम.एन.एस में अस्थिरता का भी खतरा होता है कुछ परिस्थितियों में जब राष्ट्रीयता की भावना बहुत मजबूत हो जाने पर राज्य का विघटन हो सकता है । उदाहरण युगोस्लाविया एवं यू.एस.

  इसी दृष्टिकोण से भारत पर भी सवाल उठाया जाता है, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों (जो कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं) में भी कई स्थानों (मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम, मेघालय आदि) में ऐसे लोग जो एक अलग राष्ट्र की सोच रखते है एवं उन्हे भी आत्म निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए एवं साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनने का अवसर मिलना चाहिए । जो कि भारत से स्वतंत्र होगा ।

जम्मू कश्मीर के संदर्भ में,

- धर्म आधारित राष्ट्रीयता (पाकिस्तान द्वारा दावा) के आधार पर पाकिस्तान की माँग है, कि कश्मीर घाटी को पाकिस्तान का भाग होना चाहिए ।
- एक विशिष्ट पहचान के आधार पर कश्मीर को अलग राष्ट्रीयता की बात करते है एवं वे कश्मीर को एक सम्प्रभु राष्ट्र राज्य के तौर पर देखना चाहते है ।
- भारत का दृष्टिकोण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एवं कश्मीर भी भारत की राष्ट्रीय विविधता का उदाहरण है, कश्मीर के अधिकतर लोग भारत के साथ रहना चाहते है ।

नागरिक राष्ट्रवाद **(Civil Nationalism)**

अर्थ - अलग पृष्ठभूमि के लोग जिनको एक दृष्टिकोण से अलग राष्ट्रीयता का माना जा सकता है, वे एक साथ आकर एक राज्य के क्षेत्र में रहे एवं उन लोगों में उस राज्य के प्रति निष्ठा की भावना विकसित हो इस निष्ठा की भावना का आधार राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की राजनीतिक प्रणाली हो सकती है । एवं समाजशास्त्रियों का मानना है, कि इस तरीके से एक नए किस्म के राष्ट्रवाद का विकास होता है । जो परंपरागत राष्ट्रवाद से भिन्न एवं इसे ही नागरिक राष्ट्रवाद की परिभाषा दी गई है । यू.एस.ए के मामलों में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यू.एस.ए के लोग पूर्व में यूरोप के विभिन्न भागों से एवं बाद में दुनिया के अन्य भागों से भी आकर वहाँ बस गए, उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी मूल के लोग, इटालियन, जर्मन, आईरिश, डच, फ्रेंच एवं साथ ही दक्षिण एवं मध्य अमेरिका से भी आकर लोग बस गये । हाल ही (2014) में यू.एस.ए में सर्वाधिक भारतीय मूल के लोग बसे हुए है एवं दूसरे स्थान पर चीन के लोग आकर बसे ।

यू.एस.ए. (मेल्टिंग पॉट)

- कनाडा में अंग्रेजी, फ्रेंच एवं साथ ही भारतीय व चीन के लोग भी बसे हुए है ।
- भारत में, भी नागरिक राष्ट्रवाद का महत्व है ।
- पाकिस्तान का निर्माण धर्म आधारित राष्ट्रवाद के सिद्धांत से हुआ था। समय बीतने के साथ - धार्मिक राष्ट्रवाद कमजोर हुआ एवं राष्ट्रीयता को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे - भाषा, नृजाति, संस्कृति, ऐतिहासिक अनुभव आदि का महत्व बढा । जिससे पाकिस्तान में समस्या उत्पन्न हुई जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने के निर्णय के बाद बांग्लादेश का

निर्णय हुआ एवं वर्तमान में बलूचिस्तान, उत्तर पूर्व सीमान्त में सिंध के कुछ इलाकों में फाटा (FATA) का निर्माण के लिए इन सभी क्षेत्रों में स्थानीय पहचान के आधार पर विभिन्न किस्म के आन्दोलन, अलगाववादी संगठन आदि उभर कर आए एवं इनसे पाक की एकता को भी खतरा माना जाता है ।

- तिब्बत में भी राष्ट्रवादी आन्दोलन वहाँ के लोगों द्वारा अलग राष्ट्रीयता के आधार पर जिसे चीन द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया जा रहा है ।
- तिब्बत के सर्वोच्च नेता दलाई लामा के कथनानुसार एक अलग राष्ट्र माँग न होकर चीन के अन्दर ही तिब्बत की अलग पहचान की मान्यता एवं तिब्बत की स्वायत्ता चाहते है ।

<u>अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में शक्ति की अवधारणा</u> **(Concept of Power in International Relation)**

- शक्ति, राज्य के साथ जुडा होता है । यह सम्पत्ति के तौर पर नहीं होता है। शक्ति एक क्षमता होती है । जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं दूसरे राष्ट्रों को भी अपने प्रयोजन, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभावित करने में सहयोगी ।
- आधुनिक विश्व में सामान्यतः माना जाता है, कि आर्थिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है एवं इसके आधार पर अन्य प्रकार की शक्ति का विकास हो सकता है ।
- यू.एस.ए. बीसवीं शताब्दी में विश्व की प्रमुख के रूप में उभरा । यू.एस. आर्थिक क्षमता के आधार पर एवं सैन्य तौर पर भी सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया ।
- China Economical Area विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है एवं वह इस आर्थिक क्षमता का उपयोग कर अपनी सैन्य क्षमता को भी तेजी से बढा रहा है । परंतु चीन की प्राथमिकता आर्थिक क्षमता पर ही है। यदि कोई देश सीमित आर्थिक क्षमता होते हुए भी अत्यधिक सैन्य क्षमता विकसित करने की कोशिश हेतु बहुत ज्यादा व्यय सैन्य क्षेत्र पर करें तो उसे गम्भीर संकट का सामना करना पड सकता है ।
  उदाहरण –
  सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (Union of Soviet Socialist Republic)
  समाजवादी प्रणाली का सर्वोतम उदाहरण
  मार्क्स–लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित
  1917 में स्थापित 1991 में विघटित

आर्थिक क्षमता – विभिन्न संसाधनों पर निर्भर करती है ।

- भौतिक संसाधन (खेत, खनिज)
- पूंजीगत /वित्तीय संसाधान (निवेश की क्षमता हेतु)
- मनव संसाधन।
  ऐसे कई उदा. कि कोई राज्य भौतिक संसाधन के मामले में सम्पन्न नहीं होने के बावजूद मानव संसाधन के आधार पर बहुत शक्तिशाली राष्ट्र/राज्य बन गया है। उदाहरण जापान ।

<u>प्रौद्योगिकी</u> :–

- आज की दुनिया में आर्थिक एवं सैनिक दोनों प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते है । यू.एस.ए. के सबसे शक्तिशाली राज्य बनने में प्रौद्योगिकी का बहुत बडा योगदान था । प्रौद्योगिकी उपयोग से अन्य संसाधानों का विकास एवं अन्य क्षमताओं का विकास एवं साथ ही बेहतर उपयोग हो सकता है ।

<u>उद्यमिता</u> :–

- संसाधनों के इस्तेमाल करने की क्षमता एवं उनको संगठित करना । जो लोग नया व्यवसाय शुरू करते है या उत्पादन करते है उन्हें उद्यमी कहा जाता है एवं उनकी यह क्षमता उद्यमिता कहलाती है ।

संसाधनों का उपयोग :–

- संसाधन उपयोग के लिए अवसंचारण का विकास आवश्यक है, क्योंकि इसी से संसाधन उपयोग बेहतर होता है। उदाहरण संचार, परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति, सामाजिक अवसंचारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि ।

ऐतिहासिक अनुभव अनुसार,

- जिन क्षेत्र/राज्यों के पास आर्थिक क्षमता अधिक रही है, उन्हीं की सैन्य क्षमता अधिक शक्तिशाली रही है । अतः दीर्घकाल से यही दृष्टिकोण रहा है ।
  इसमें प्रतिव्यक्ति आय का भी महत्वपूर्ण स्थान है ।
  बडे देश में व्यक्ति की कम आय के बावजूद उसकी जी.डी.पी. अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे चीन, जापान

सैन्य क्षमता :–

- इसमें सैन्य बलों की संख्या, हथियारों की मात्रा एवं प्रौद्योगिकी स्तर, सैन्य बल प्रशिक्षण स्तर आदि आते है ।

शीतल शक्ति की अवधारणा **(Concept of Soft Power)**

संकल्पना जोसेफ एस. नाइ द्वारा दी गई ।

यह शक्ति आर्थिक एवं सैन्य संसाधनों से भिन्न है । ये राज्य के बाह्य प्रभाव को दर्शाता है । यदि यह प्रभाव अच्छा है, तो अन्य राज्य उनकी विचारों का गंभीरता से लेकर उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार होगें ।

नाइ के अनुसार, नम्रशक्ति के प्रमुख तत्व–

संस्कृति (Culture)

राजनीतिक मूल्य और संस्थान (Political values & institutions)
ऐसे राजनीतिक मूल्य जिसका वो व्यवहार में अनुसरण करता है। जैसे – मानवाधिकार, लोकतंत्र ।

विदेश नीति (Foreign policy)
ऐसी विदेश नीति जिसे अन्य लोग वैद्य माने एवं इस नीति में नैतिक प्राधिकार भी हो ।
अन्य लेखकों के द्वारा इसका विस्तार कर इसमें कुछ तत्व जोडें गए जिनमें मुख्यतः –

(1) शिक्षा **(Education)**

- उदाहरण - यू.एस., यू.के. शिक्षा व्यवस्था में बहुत आगे जिसमें उच्च संस्थान प्रणाली है ।

(2) संस्था **(Institution)**

- उदाहरण – संसदीय संस्थाएँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि ।

(3) व्यापार एवं नवाचार **(Bussiness & innovation)**

- व्यवसाय एवं नवाचार की संकल्पना को उभारना जिससे राज्य/क्षेत्रीय विकास को सहयोग प्राप्त हो एवं एक नयी दिशा मिल सके । उचित नीति के लिए कठोर और नम्र शक्ति दोनों पर ध्यान दिया जाए साथ ही सन्तुलन समन्वय एवं विकास किया जाऐ ।

स्मार्ट पॉवर :-

- दोनों प्रकार को क्षमताएँ हो एवं परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रभावी उपयोग किया जाऐ । नम्र शक्ति, अक्सर धीमा परिणाम देता है । लेकिन कम खर्चीला होता है एवं अक्सर प्रभावी भी सिद्ध होता है ।

भारत की नम्र शक्ति जैसे – क्रिकेट, बॉलीवुड, अध्यात्मिकता कन्फ्यूशियस संस्थान (चीन नम्र शक्ति है) योग आदि ।
भारत के पास नम्र शक्ति के व्यापक संसाधन है, परंतु इसका प्रभावी उपयोग कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है ।

नम्र शक्ति के प्रमुख तत्व भारतीय संदर्भ में :–

- आध्यात्मिकता ।
- योग परंपरा ।
- धार्मिक–परंपरा (बौद्ध धर्म – अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव)
- सांस्कृतिक तत्व (नृत्य, संगीत, सिनेमा, टी.वी. नाटक)
- लोकतांत्रिक संस्थाएँ ।
- विशिष्ट संस्कृति एवं समाज (आंतरिक एवं बाह्य प्रभावों का मिश्रण)
- अहिंसावादी सिद्धांत ।
- भारतीय भोजन (पानशैली)

इन तत्वों के बेहतर उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाएँ है ।
PDD – Public Democratic Division
ICCR - Indian Council for Cultural Relations

– पिछले कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ।

अतुल्य भारत (Increadible India) अभियान जो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को विश्व के सामने उपस्थित करता है । जैसे– 'पूर्व की ओर देखें' एवं 'पश्चिम की ओर देखें' दोनों में भारत की नम्र शक्ति के ऊपर जोर दिया गया है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में सॉफ्ट पॉवर संसाधन पर विशेष जोर दिया गया है एवं इस संबंध में प्रवासी भारतीय के प्रभावी उपयोग की कोशिश की गई है । इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री के यू.ए.एस., यू. के.,यू.ए.ई., ऑस्ट्रेलिया आदि की यात्राओं में प्रवासी के साथ बहुत कार्यक्रम आयोजित किये गए एवं इनका कार्यक्रमो में भारत के सॉफ्ट पॉवर संसाधन को प्रदर्शित किया गया ।

शक्ति का संतुलन **(Balance of Power)** :-

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति संतुलन का उपयोग बहुत समय से हो रहा है । प्राचीन भारत मे भी इस तरह की संकल्पना का प्रभाव था। इसका सामान्य अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी शक्ति होती है एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई शासन प्रणाली न होने के कारण एक राज्य की शक्ति से दूसरे राज्य के लिए जोखिम पैदा हो सकता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में शक्ति संतुलन का तरीका अपनी शक्ति को बढाने की कोशिश ताकि सम्भावित खतरे से निपटा जा सके एवं अन्य राज्यों के साथ गठबंधन बनाना ताकि संतुलन की स्थापना की जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जा सकें कि किसी एक राज्य का वर्चस्व नहीं स्थापित है ।

आज के उदाहरणों में,
पिछले कुछ वर्षों में चीन की शक्ति तेजी से बढी है । जिसे कहा गया है । इससे कुछ अन्य राज्यों के लिए खतरा हो सकता है । जैसे जापान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्य, भारत आदि ।

ऐसी स्थिति में कई विशेषज्ञ शक्ति संतुलन के सिद्धांत के उपयोग की सलाह देते है यानि जिन राज्यों के लिए चीन से जोखिम है, वे राज्य अपनी क्षमता को बढाये एवं चीन को संतुलित करने के लिए गठबंधन का प्रयास करें । जिससे विशेष तौर पर यू.एस.ए. का नाम लिया जाता है ।

बी.ओ.पी की नीति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें तनाव बढेगा । हथियारों की दौड तीव्र होगी एवं कई बार इसके फलस्वरूप युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है । विशेष तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में बी.ओ.पी सिद्धांत की भी भूमिका मानी जाती है ।

भारत इसी कारण से जापान, यू.एस.ए. आदि से अपने सामरिक सहयोग को बढा रहा है, परंतु भारत यह बार-बार स्पष्ट करता है कि यह सहयोग चीन के विरुद्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय हित **[National Interest (NI)]**
आई. आर. में राज्य सामान्यतः अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर काम करते है, राष्ट्रीय हितों में राज्य की सुरक्षा स्थिरता आर्थिक विकास आदि महत्वपूर्ण होते है ।
राष्ट्रीय हित की कई स्पष्ट व्याख्या या निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है अक्सर उसके संबंध में विवाद होता है । अलग राजनीतिक दल या सामाजिक वर्ग या क्षेत्रीय संगठन/इकाईयाँ इसकी अलग है व्याख्या करते है ।
उदाहरण – टी.पी.पी. की नीति समझौता कराने में यू.एस.ए. की मुख्य भूमिका थी परंतु में भी इस समझौते का सर्वाधिक विरोध हो रहा है । एक तरफ राष्ट्रपति ओबामा एवं यू.एस.ए. के बहुत सारे व्यवसायिक इकाईयाँ एवं संगठन इसे राष्ट्र हित में मानते है ।

दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध बताया एवं पूर्णतः नामंजूर करने की बात कही एवं साथ ही हिलेरी क्लिंटन ने भी इसके वर्तमान स्वरूप का विरोध किया है ।

- बी.ओ.पी की व्याख्या स्पष्ट तौर पर नहीं, परंतु फिर भी आम सहमति बनाने को कोशिश जिसके आधार पर राज्य काम करता है । लेकिन अक्सर राज्य अपने राष्ट्रीय हित निर्धारण में त्रुटि करते है, बाद में जिसकी कीमत चुकानी पडती है ।
  उदाहरण यू.एस.ए के मामले में, इराक में हस्तक्षेप माना जाता है, कि यह यू.एस.ए. राष्ट्रीय हित से बाहर था जिससे यू.एस.ए. को क्षति हुई ।
- भारत में 1972 में समझौता के प्रावधान में माना जाता है कि ये दीर्घकालीक राष्ट्रीय हित में नहीं था ।

विदेश नीति
Foreign Policy

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य राज्यों के साथ सम्बन्धों की स्थापना एवं संचालन के विषय में अपनाई गई नीति ही विदेश नीति कहलाती है ।
- विदेश नीति के माध्यम से कोई राज्य की सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है ।
- सामान्यतः नीति का निर्धारण तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए, लेकिन अक्सर राज्य अल्पकालिक प्रभावों के महत्व के मसलों से प्रभावित होकर राष्ट्रहित की गलत व्याख्या करते है एवं अनुपयुक्त नीतियों को भी अपनाते है ।
- इससे आम जीवन में भी लोग एक भावना से प्रभावित होते है, इसे लूज ऑफ फेस के नाम से जाना जाता है ।
- विदेश नीति के मामले में सुझाव ये दिया जाता है कि व्यापक विचार-विमर्श करके विभिन्न दलों, विचारों के मध्य सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए, जिसमें वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाऐ एवं वस्तुनिष्ठता के अनुसार काम करना चाहिए एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।
- विदेश नीति संतुलित होनी चाहिए सरकारों के बदलने से विदेश-नीति में कोई बहुत बडा परिवर्तन होना चाहिए ।
- विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण है, पहलू यह स्थिरता एवं निरन्तरता बनी रहे । विदेश-नीति को कार्यान्वित करने के लिए कूटनीति की सहायता ली जाती है, जिससे राज्यों द्वारा एक-दूसरे के राज्यों में राजदूतों को भेजना होता है ।
- वियना कन्वेशन जिसके द्वारा राजदूत एवं अन्य राजनायकों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय आचरण निर्धारित होता है । यहाँ राजदूतों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है ।
- स्थानीय सुरक्षा बल राजदूत की अनुमति के बिना दूतावास में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु दूतावास की रक्षा करना, उनकी जिम्मेदारी है । राजदूतों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता एवं राजनायकों के परिवारों को इसी प्रकार का संरक्षण दिया जाता है ।
- कूटनीतिक संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य कूटनीतिक संबंधो को संरक्षण देना एवं यह सुनिश्चित कटना कि राजनायक अपनी जिम्मेदारियाँ बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक निभा सके एवं इसमें सभी राज्यों का हित माना जाता है, जो कि कानून पर आधारित है ।

विदेश नीति 1857 के बाद से अब तक **(Foreign Policy "After 1857 till Now") :-**

1857 के बाद भारत पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया । अंग्रेजों ने अपने स्वार्थो के अनुसार भारत की शिक्षा प्रणाली प्रशासन व्यवस्था आदि को ढाला । परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था । परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदृढ परम्परा रही है ।

- स्वतंत्रता से पूर्व ही विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा एवं गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मा निर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेद-भाव की नीति का दृढतापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा । साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा ।

  नेहरू का यह कथन भारतीय विदेश नीति के आधार स्तम्भ के रूप में आज भी है ।

– भारतीय विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के अनुच्छेद–51 में कर दिया गया है । जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा देगा । राज्य/राष्ट्रों के मध्य न्याय एवं सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाये रखने का प्रयास करेगा एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि व कानून का सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निपटने की रीति को बढावा देगा ।

<u>भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य</u> :–

- अपने मित्र देशों के साथ अर्थात् पडोसी देशों के साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार करना एवं संबंध सहयोग को मजबूत करना ।
- स्थायी विश्वास एवं सूझबूझ का पडोसी देश के साथ सम्बन्ध स्थापना हेतु वातावरण तैयार करना ।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
- अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाएँ जाने की नीति को प्रत्येक सम्भव तरीके से प्रोत्साहन देना ।
- सभी राष्ट्र एवं राज्यों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध बनाये रखना ।
- सैनिक गुटबंदी एवं सैनिक समझौता से स्वंय को पृथक करना एवं ऐसी गुटबंदी से दूरी बनाकर रखना ।
- उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहे वे किसी भी रूप में हो ।
- सभी देशों के साथ व्यापार अद्योग निवेश एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधार परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी ढाँचा विकसित करना ।
- द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढाने एवं शांति स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए दंड देशों एवं अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना शामिल है ।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल एवं उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल निकलने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा यू.एस गुटनिरपेक्ष आन्दोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनो में रचनात्मक कार्य करना ।
- इनमें शांति एवं सुरक्षा के साथ–साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप में निशक्तजन, न्यायोचित और तर्कपूर्ण भेदभाव रहित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, जनस्वास्थ्य आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति एवं शिक्षा आदि शामिल है ।

  विदेश सम्बन्ध (Foreign relation)
  विदेश नीति (Foreign policy)
  कूटनीति (Diplomacy)

  विदेश संबंध, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में राज्यों एवं अन्य इकाईयों के बीच संबंध जैसे– अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन ।

  उदाहरण - भारत–नेपाल सम्बन्ध
  भारत–अमेरिका सम्बन्ध

प्रबल मित्र सितम्बर, 2016 में भारत व कजाकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ ।

भारत में इस संबंध में मुख्य जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है । परंतु अन्य मंत्रालय भी इसमें भूमिका निभाते है जैसे – आई.एम.एफ एवं विश्व बैंक के साथ भारत के संबंध में वित्त मंत्रालय की भूमिका ।

- डब्ल्यू.एच.ओ. में भारत संबंध का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करता है । परंतु समन्वय की भूमिका विदेश मंत्रालय की होती है । साथ ही प्रधानमंत्री की भी विदेश सम्बन्धों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है एवं अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता एवं बातचीत प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है ।
- विदेश संबंधों में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका प्रतिकात्मक होती है ।

विदेश नीति में,

- ऐसी नीति की पहचान जिसमें हम अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकते है ।
- इसके कार्यान्वन में कूटनीति का बहुत महत्व है ।
- इसमें अनेक जटिलताएँ होती है, इसके संबंध में अलग दृष्टिकोण हो सकते है, इसी कारण यह प्रयास होना चाहिए की विदेश नीति निर्धारण में अलग विचारों एवं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाऐ ।
  उदाहरण – कोरियाई युद्ध में कूटनीतिक गलती ।
- विदेश नीति में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय नीतियाँ ।
- विदेश नीति – उदाहरण – जम्मू–कश्मीर में शांति वार्ता की माँग की जाऐ परंतु परिणाम दूसरे देश की नीति पर भी निर्भर करेगा ।
- बहुपक्षीय नीति – भारत–पाक सम्बन्ध में चीन की अपनी नीति जिसमें उसके हित निहित होगें जिसका असर भारत कई सफलता एवं विफलता पर पडेगा । साथ ही इसमें यू.एस.ए. का भी भागीदारी हो सकता है ।

कूटनीति –

- विदेश नीति का औजार ।
- विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका ।
- विदेश मंत्रालय के अधिकारी, विदेशमंत्री, प्रधानमंत्री की भी भूमिका सम्भव ।

<u>आधुनिक कूटनीति</u> :–
<u>मल्टी ट्रैक पॉलिसी</u>
<u>ट्रैक 1.</u> - परम्परागत कूटनीति – राजदूत विदेश मंत्री आदि स्तर पर होने वाली बातचीत ।

<u>ट्रैक 2.</u>- दो राज्यों के बीच अपेक्षाकृत अनौपचारिक बातचीत सामान्यतः यह बातचीत गैर सरकारी लोगों के बीच होती है । लेकिन इन्हें अपने देश का समर्थन व विश्वास प्राप्त है ।

उदाहरण – सेवानिवृत्त पदाधिकारी, भूतपूर्व मंत्री ।

ये बातचीत सरकारी स्तर की नहीं होती है । अतः इसके संबंध में मीडिया का ध्यान, देश के लोगों की अपेक्षाओं के कारण दबाव नहीं पैदा होता है । इन्हें सरकारी स्तर पर आवश्यकता पडने पर इनका खण्डन किया जा सकता है ।

आजकल इस प्रणाली का प्रयोग अक्सर होता है, जिनमें उदाहरण स्वरूप भारत–पाकिस्तान संबंध में ।

पूर्व में इसका प्रयोग आदि के मध्य हुआ था ।

कई बार ट्रैक 2 कूटनीति के परिणामस्वरूप संबंध सुधारते है एवं समस्याओं का समाधान निकलता है ।

ट्रैक 3.- गैर–सरकारी स्तर पर संबंध बनाना ।

विशिष्ट अर्थ – व्यावहारिक व व्यावसायिक संगठन आदि के बीच मे संबंध ।

ट्रैक 4.- इसमें सांस्कृतिक संबंध बनाना ।

<u>सार्वजनिक कूटनीति</u> **(Public Diplomacy)**

- नरम शक्ति का उपयोग करके अन्य राज्य के लोगों को प्रभावित करना। अपने प्रति उनके रवैया को सकारात्मक बनाने का प्रयास ।
- जनता को प्रभावित करने हेतु ।
- विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कूटनीति का एक प्रभाग ।
- विश्व की वर्तमान स्थिति में विदेश संबंध एवं विदेश नीति का बढता महत्व ।

<u>आज की वैश्विक स्थिति</u> :-

- आज के विश्व में देशों के बीच पारस्परिक अंतर्निभरता अधिक हो गई है जैसे- व्यापार एवं अन्य प्रकार के आदान-प्रदान (पूँजी, प्रौद्योगिकी) । ये ऐसे राज्यों के बीच होता है जिसमें तनाव एवं समस्याएँ है जैसे - भारत-चीन, अमेरिका-चीन एवं जापान-चीन आदि ।
- सैन्य संबंध एवं सैन्य गुट/गठबधंन जैसे-नाटो इसमें भारतीय नीति सदैव ऐसे गठबंधनो से दूर रहने की रही है ।
- व्यापार समझौता, दो राज्यों के मध्य व्यापार बढाने हेतु किये जाते है । मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत की सहभागिता रही है एवं अभी भी भारत के इस संबंध में अन्य राज्यों से बातचीत कर रहा है ।
- अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो में अवसरों के साथ खतरे भी रहे है -

<u>ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि</u>

- विदेश खतरे-इसमें प्रत्यक्ष विदेशी हमला, जैसे - चीन द्वारा भारत पर हमला, 1962 ,खतरा, जब नाभिकीय शस्त्र या भीषण हथियारों का उपयोग किया जाता है । परंतु इनका व्यवहार में नहीं किया जाता है ।

<u>विदेश नीति के सकारात्मक अवसर</u>:-

- व्यापार से आर्थिक संवृद्धि को बढावा ।
- विदेश निवेश जिसमें उत्पादन क्षमता बढती है ।
- विदेश प्रौद्योगिकी की प्राप्ति ।
- पर्यटन एवं अन्य सेवा क्षेत्रों के संबंध में लाभकारी ।
- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधो की संभावना ।

<u>अन्य देशों के साथ भारत के धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध</u> :-

- धार्मिक विचारों का आदान-प्रदान जैसे बौद्ध व हिन्दु धर्म का प्रसार पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया, थाइलैण्ड, म्यांमार आदि ।
- इस्लाम धर्म का आगमन ।
- अरब देशों के साथ व्यापार संबंध ।
- यूरोप के साथ व्यापार संबंध ।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापक संबंध ।
- ईसाई धर्म का भारत में आगमन ।

विदेश नीति के संबंध में, सर्वप्रथम पडोसी राज्य बहुत महत्वपूर्ण होते है, इसका मुख्यतः कारण भौगोलिक कारक है ।

देश/राज्यों की आन्तरिक स्थिति का भी भारत पर असर जैसे –
(1) नेपाल में मधेसी समुदाय के लोगों की समस्या का संकट ।
(जिससे भारत को काफी चिंता हुई)
(2) श्रीलंका के तमिल निवासी से संबंधित विवाद से भी भारत प्रभावित ।

प्रभाव –
(इन मसलों का 1 भारतीय राजनीति पर भी पडता है)

विस्तृत पडोसी देश :–

- पूर्वी एशिया –ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध ।
  आधुनिक समय में आर्थिक संबंध बहुत कमजोर हो जाने के कारण भारत सरकार को 'पूर्व की ओर देखो' का निर्माण करना पडा ।

पश्चिम एशिया :–

- तेल एवं गैस का प्रमुख स्त्रोत
- भारत के साथ व्यापारिक संबंध ।
- भारतीय मूल के लोगों का पश्चिमी एशिया मुद्दा में निवास ।
- विदेश मुद्रा प्रवाह का भी प्रमुख स्त्रोत ।

मध्य एशिया :–

- भारत से परंपरागत संबंध प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सम्पन्न ।
- भू–राजनीतिक एवं सामरिक भूमिका महत्वपूर्ण ।

भारत विदेश नीति का विकास :–

- स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति में, भारतीय विदेश नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार द्वारा होता था ।
  परंतु स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भी विदेश संबंधी मसलों पर विचार किया और भारत के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की बात की ।
- इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जवाहर लाल नेहरू की थी, परंतु और भी राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
- दूसरा विश्व युद्ध के आरम्भ में, अंग्रेजी शासकों ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया । इसी विरोध में कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया ।
- कांग्रेस नेताओं का मानना था कि इस प्रकार के फैसले से पूर्व भारतीय जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना चाहिए था ।
- स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेश नीति महत्वपूर्ण हुई । जब सत्ता भारतीय नेताओ के हाथ में आयी।
- जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ विदेशमंत्री का उत्तरदायित्व भी सम्भालते थे । वैदेशिक मामलों में उनकी सर्वाधिक जानकारी एवं रुचि थी, अन्य नेताओं की तुलना में परंतु विदेश नीति की स्थापना में मध्य व्यक्तिगत विचारों का महत्व नहीं था, इससे ज्यादा महत्व वैश्विक स्थिति एवं राज्यों के हित

का था वैश्विक स्थिति में शीत युद्ध महत्वपूर्ण हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यू.एस.ए. एवं यू.एस. एस.आर. के मध्य बढने वाले तनाव ने अन्ततः शीत युद्ध का रूप लिया ।

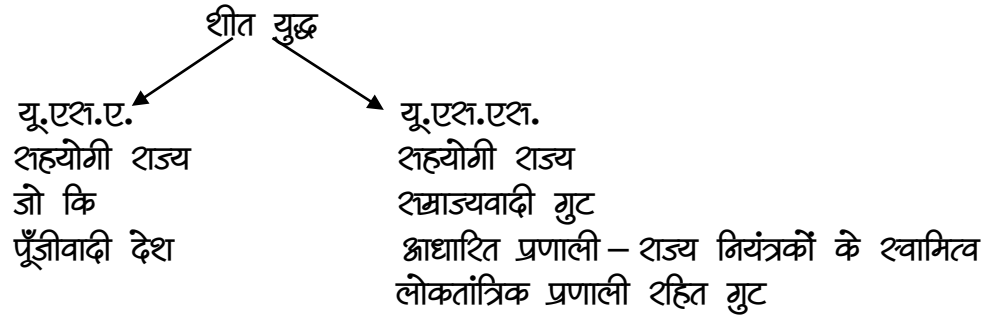

- भारत जो कि लोकतान्त्रिक राष्ट्र परंतु यह यू.एस.ए. एवं यू.एस.एस.आर. की आर्थिक एवं विदेश नीतियों से असहमत था तथा यू.एस.एस.आर. की राजनीति प्रणाली से भी असहमत था ।
- ये दोनों गुट सैन्य कारण को बढावा दे रहे थे ।
- इस स्थिति में ही गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का विकास हुआ । भारत इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में था ।

<u>नरसिम्हा राव से आई. के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी तक विदेश नीति</u> :-

- 90 के दशक में, वी. पी. सिंह की सरकार बनी जिसके विदेश मंत्री बने गुजराल जो कि विदेश नीति को समझने में संयत और चतुर थे । लेकिन सरकार थोडे समय ही रही और विदेश नीति पर उसका कोई चिरस्थायी प्रभाव नहीं पडा ।
- परंतु विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल के पास एक अतिरिक्त एवं अधिक उपयोगी सहज बुद्धि थी । उस दौरान विश्व में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी । जिनमें ईरान के विरुद्ध हथियार बंद हमला हुआ, असंतुष्ट सद्दाम हुसैन ने अगस्त, 1990 में कुवैत हमले का फैसला किया, जो एक सप्रभुत्ता संपन्न राष्ट्र व यू.एन. सदस्य था । जिसमें लाखो लोग मारे गये और अन्य परिणामो का अनुमान लगाना मुश्किल । यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था और यदि यह क्षेत्र कुवैत की जगह दूसरा होता हो अमेरिका शायद कुवैत आक्रमण को रोकने के लिए उच्च स्तरीय चढाई न करता । यह तेल दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्षेत्र अर्थात् यदि कहा जाए औद्योगिक जगत की जीवन रेखा खाडी से होकर गुजरती है । और उस जीवन रेखा पर एक तानाशाह को चेन से बैठने की इजाजत देना उचित नहीं था ।
- कुवैत में अन्ततः इराक की हार हुई, फौज की वापसी के बाद भी इराक पर दबाव बना रहा । इराक पर घेराबंदी कर दिन-रात बमबारी की, जिसमें यू.एन. की ओर से मानवीय आधार पर थोडी बहुत राहत दी गई । तब से इराक जनता को अमन-चैन नसीब नहीं हुआ । भुखमरी से बच्चे अल्प पोषण और कमजोरी के शिकार बनते रहे ।
- गैर अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष के अध्ययनुसार 1991-98 तक इराक के खिलाफ लगे प्रतिबंधो से 5 लाख बच्चे सीधे मौत के मुँह में चले गये ।